

समाधान ढांचा-2.0 के अंतर्गत पुनर्चना के लिए आवेदन
(10.00 लाख रुपए तक के वर्तमान ऋणों के लिए)

पुनर्चना के लिए प्रस्ताव-सह-स्वीकृति पत्र
(दो प्रतियों में जारी किया जाना चाहिए)

सेवा में

(उधारकर्ता का नाम एवं पता)

पत्र क्रमांक : _____

दिनांक: _____

प्रिय महोदय/महोदया,

मीयादी ऋण खाता क्रमांक :

10 लाख रुपए तक के मीयादी ऋणों की अवधि के पुनर्निर्धारण हेतु प्रस्ताव पत्र

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 5 मई 2021 के दिशानिर्देशों के अनुसार, आपकी ऋण सुविधा 6/12/18/24 महीनों की अधिस्थगन अवधि सहित 6/12/18/24 महीनों की चुकौती अवधि बढ़ाकर किस्तों के पुनर्निर्धारण के लिए पात्र है।

2. उक्त सुविधाएँ आपके द्वारा यह विकल्प चुनने और संलग्न आवेदन प्रस्तुत करने पर उपलब्ध होंगी।

3. आप व्हाट्सएप नंबर/ई-मेल के जरिए स्वीकृति/आए आउट पत्र वापस कर सकते हैं।

भवदीय,

शाखा प्रबंधक

स्वीकृति पत्र

मैं/हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ/करते हैं और आपसे 6/12/18/24 महीनों की अधिस्थगन अवधि सहित 6/12/18/24 महीनों की चुकौती अवधि बढ़ाकर हमारे मीयादी ऋण की किस्तों का पुनर्निर्धारण करने का अनुरोध करता हूँ/करते हैं।

2. मैं/हम इस समय कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण खाते की ब्याज अदा करने में कठिनाई महसूस कर रहा हूँ/कर रहे हैं।

3. मैं/हम उपर्युक्त के संबंध में अपेक्षित कोई भी अन्य सूचना प्रस्तुत करूंगा/करेंगे। हम मीयादी ऋण किस्तों के पुनर्निर्धारण के बाद संशोधित शर्तों एवं निबंधनों के साथ व्यवस्था पत्र प्रस्तुत करेंगे।

दिनांक :

स्थान

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

कंपनी/संस्था का नाम :

अथवा

मुझे/हमें उक्त सुविधा की आवश्यकता नहीं है और हम आए आउट करने की अपनी मंशा व्यक्त करते हैं।

दिनांक :

स्थान :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

कंपनी/संस्था का नाम

